

पत्रकार एवं पत्रकारिता संस्थान अधिनियम, 2017

प्रीलिमिंस के लिये:

प्रेस फ्रीडम इंडेक्स

मेन्स के लिये:

प्रेस स्वतंत्रता संबंधी मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित पत्रकार एवं पत्रकारिता संस्थान (हिसा और संपत्तिका कषतकी रोकथाम) 2017 को स्वीकृति दे दी।

प्रमुख बडि:



- इस अधिनियम में पत्रकारों या पत्रकारिता संस्थानों के मामले में नुकसान पहुँचाने वाले को 3 साल की सज़ा और 50000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- संस्थानों को किसी भी तरह की कषतपहुँचाने या पत्रकारों के इलाज़ का व्यय अभ्युक्त द्वारा ही वहन किया जाएगा।
- इस अधिनियम के अनुसार, पत्रकारों पर हमला करना गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा।
- इसके तहत संबंदि पर काम करने वाले पत्रकारों को भी सुरक्षा प्रदान की गई है।
- साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिये इस तरह के कानून को पारित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है।
- अधिनियम के तहत इस तरह के मामलों की जाँच पुलिस उपाधीकषक या उससे उच्च स्तर का अधिकारी द्वारा ही कयि जाने का प्रावधान है।
- झूठी शकियायतों या अधिनियम का गलत इस्तेमाल कयि जाने पर पत्रकारों के वरिद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

पत्रकार सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता क्यों?

- हाल ही में देश भर में पत्रकारों पर हमलों की संख्या तेजी से बढ़ी है, फलस्वरूप कई पत्रकार संगठन लंबे समय से इस तरह के क़ानून की मांग कर रहे थे।
- अंतरराष्ट्रीय संगठन रपोर्टरस वदिआउट बॉर्डर्स (Reporters Without Borders) के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स (World Press Freedom index) 2019 में भारत को 180 देशों में 140वाँ स्थान दिया गया था।

- इस सूचकांक में 2017 में भारत 136वें स्थान पर था, वहीं 2018 में इसे 138वें स्थान पर रखा गया था ।
- इस सूचकांक के अनुसार नॉर्वे, फ़िनलैंड और स्वीडन क्रमशः पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं ।
- पत्रकारों की सुरक्षा के इस अंतरराष्ट्रीय सूचकांक में सबसे नचिले पायदानों पर क्रमशः इरिट्रिया (178), उत्तरी कोरिया (179) और तुर्कमेनिस्तान (180) हैं ।

स्रोत- द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/president-gives-assent-to-maharashtra-bill>

